



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22548-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **29946/2025**

अशोक कुमार मिश्रा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धीरेंद्र कुमार द्विवेदी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान पक्षकारों की सूची में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-
"(i) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को मुकदमा अपराध संख्या-252/2025, धारा 326 (जी) एवं 352 बी.एन.एस., थाना मेजा, जनपद प्रयागराज की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए, साथ ही प्रत्यर्थी को मुकदमा अपराध संख्या-252/2025, धारा 326 (जी) एवं 352 बी.एन.एस., थाना मेजा, जनपद प्रयागराज में अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
(ii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित और सही समझे।"
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.05.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।
5. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या-2/पुलिस आयुक्त, कमिशनरेट प्रयागराज, जनपद प्रयागराज के समक्ष अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदन दिया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या-2/पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज, जनपद प्रयागराज, वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

6. उपर्युक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

एन.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"